

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठारसीन अधिकारी प्रगात त्रिपाठी) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./120/2022

1. रामधन पुत्र लादू जाति खाती निवासी चांपानेरी तहसील भिनाय जिला अजमेर
 2. रामनाथ पुत्र हांसा जाति जाट निवासी हियालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
- प्रार्थीगण

बनाम

1. पारसमल पुत्र गोपाल जाति खटीक निवासी नागोला तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. हरजी पुत्र राजू जाति गुर्जर निवासी नागोला तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. घीसा पुत्र भगवान जाति खटीक निवासी नागोला तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. राधेश्याम पुत्र हरजी जाति खटीक निवासी नागोला तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. शिवराज पुत्र हरजी जाति खटीक निवासी नागोला तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. सुवा पत्नि हरजी जाति खटीक निवासी नागोला तहसील भिनाय जिला अजमेर
7. सोहन पुत्र भगवान जाति खटीक निवासी नागोला तहसील भिनाय जिला अजमेर
8. रामकिशन पुत्र रायमल जाति गुर्जर निवासी नागोला तहसील भिनाय जिला अजमेर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी-श्री राहुल कुमार आचार्य


2. वकील अप्रार्थी-श्री देवकान्त व्यास (अप्रार्थी सं० 08)

3. पैरोकार सरकार



संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा नागोला पटवार क्षेत्र नागोला भूअंश 010 क्षेत्र नागोला के खाता संख्या 613 में दर्ज खसरा नं. 3477/1053 रकबा 0.6650 है, खाता संख्या 494 में दर्ज खसरा नम्बर 1075 रकबा 0.59, खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.39, खसरा नम्बर 1077 रकबा 0.13, खसरा नम्बर 1078 रकबा 0.11 और खाता संख्या 711 में दर्ज खसरा नम्बर 1074 रकबा 0.41, खसरा नम्बर 3479/1073 रकबा 0.11 है कुल कित्ता 07 कुल रकबा 2.405 है, जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता है। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 08 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 09 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।


प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 02, 03, 05, 06 एवं 07 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में अप्रार्थी सं. 02, 03, 05, 06 एवं 07 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 4 द्वारा पत्रावली में उपस्थित होकर पत्थरगढी बाबत अपनी अनापत्ति प्रकट की। जबकि


उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

अप्रार्थी संख्या 08 की ओर से अधिवक्ता श्री देवकान्त व्यास द्वारा जवाब पत्र पेश किया गया। पत्रावली में पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं जवाब प्रार्थना-पत्र अप्रार्थी वकील, पैरोकार सरकार तथा राजस्व जमाबन्दी ग्राम नागोला का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व मनन किया जाने पर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढ़ी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा नागोला पटवार क्षेत्र नागोला भू0अ0नि0 क्षेत्र नागोला के खाता संख्या 613 में दर्ज खसरा नं. 3477/1053 रकबा 0.6650 है0, खाता संख्या 494 में दर्ज खसरा नम्बर 1075 रकबा 0.59, खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.39, खसरा नम्बर 1077 रकबा 0.13, खसरा नम्बर 1078 रकबा 0.11 और खाता संख्या 711 में दर्ज खसरा नम्बर 1074 रकबा 0.41, खसरा नम्बर 3479/1073 रकबा 0.11 है0 कुल किता 07 कुल रकबा 2.405 है0, प्रार्थी की खातेदारी होने से भू-अभिलेख निरीक्षक नागोला को 1500/- (एक हजार पांच सौ रुपये) मौका कमीशनर फीस पर नियुक्त कर भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ोसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि वाबत् सूचित करेंगे तथा मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। मौका कमीशनर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जावेगी। पत्रावली फ़ैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। वाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।




(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर
भिनाय (अजमेर) राज